


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

संजय कुमार व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी चौमू व अन्य

केस संख्या 294/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
16.09.2023	<p>दिनांक 31.01.2023 को जनरल तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली आज हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री प्रियवृत चारण आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया। अप्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत है।</p> <p>उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 61/2022 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 58/2022 व उनवानी संजय कुमार बनाम बाबूलाल व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री प्रियवृत चारण आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री प्रियवृत चारण आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलेक्टर जयपुर</p>	